SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July – September 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-3

ललितकला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : एक संवैधानिक अध्ययन

भक्ति अग्रवाल
सहायक प्राध्यापक (ललितकला)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

भारत की संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19(1)(a)) कला, संस्कृति एवं साहित्यिक गतिविधियों का आधार है। ललितकला, जो मानवीय भावनाओं, विचारों और समाज की स्थिति को चित्रों, मूर्तियों, स्थापत्य एवं अन्य कलात्मक माध्यमों से प्रकट करती है, केवल सौंदर्यबोध के लिए पर्याप्ता साधन ही नहीं है जबकि लोकतांत्रिक विमर्श का अंग भी है। यह शोध पत्र ललितकला की अभिव्यक्ति और संवैधानिक स्वतंत्रता के संबंध का विश्लेषण करता है। इसमें यह देखा गया है कि किस प्रकार अभिव्यिक्त की स्वतंत्रता कलाकारों को नए प्रयोग और सृजन की शक्ति देती है, साथ ही साथ किन परिस्थितियों में इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शोध पत्र में विभिन्न न्यायिक निर्णयों, प्रासंगिक कानूनों तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

बीज शब्द

ललितकला, भारतीय संविधान, अनुच्छेद 19(1)(a), सेंसरशिप, सांस्कृतिक अधिकार, विधिक संरक्षण, कला और समाज।

प्रस्तावना

ललितकला केवल सौंदर्य की साधना नहीं है, यह समाज का दर्पण भी है। कलाकार अपने विचारों, भावनाओं और चिंताओं को चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, नृत्य, रंगमंच या डिजिटल माध्यमों के द्वारा अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को दिया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता कलाकारों, लेखकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के लिए ठीक उतनी ही जरूरी है जितनी कि समाज के लोकतांत्रिक स्वरूप के लिए। किंतु यह स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है; संविधान अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों (जैसे - सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और राष्ट्र की अखंडता) की अनुमति देता है। ललितकला के इतिहास में अनेक अवसर आए हैं जब किसी कलाकृति ने सामाजिक या धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया, विवाद उत्पन्न किए और विधिक प्रश्न खड़े किए। यह शोध इन्हीं आयामों का विश्लेषण करता है।

शोध के उद्देश्य

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लगाए जाने वाले विधिक प्रतिबंधों को समझना।
2. विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ललितकला और संविधान के संबंध को स्पष्ट करना।
3. सेंसरशिप, धार्मिक भावनाओं एवं सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में कला पर लगाए गए नियंत्रणों का विश्लेषण करना।
4. भविष्य में कला की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने के उपाय सुझाना।

शोध पद्धति

यह शोध वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) पद्धति पर आधारित है।

प्राथमिक स्रोत: भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय।

द्वितीयक स्रोत: विधिक शोध पुस्तकें, लेख, जर्नल, समाचार पत्र और कला से संबंधित अभिलेख।

केस स्टडी पद्धति: प्रासंगिक न्यायिक मामलों का अध्ययन (जैसे - एम.एफ. हुसैन के चित्रों पर विवाद, फिल्मों पर सेंसरशिप से जुड़े मामले)।

शोध विस्तार

1. ललितकला और अभिव्यक्ति का दार्शनिक आधार

कला अभिव्यक्ति के लिए एक सहयोगी हो सकती है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने कला को समाज की दिशा तय करने वाला साधन माना। भारतीय परंपरा में भी नाट्यशास्त्र और चित्रकला को 'लोकहिताय' माना गया है।

2. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

अनुच्छेद उन्नीस (1) (a) : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद उन्नीस (2) : स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध (Public Order, Morality, Sovereignty)।

अनुच्छेद 21 : जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कला की सृजनशीलता का समावेश।

3. न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने अनेक निर्णयों में कला की स्वतंत्रता की रक्षा की है।

के.ए. अब्बास बनाम भारत संघ (1970) - फिल्मों की सेंसरशिप पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फिल्में कला और अभिव्यक्ति के लिए मध्यसस्ता का काम कर रही हैं, लेकिन इनमें सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। एम.एफ. हुसैन के चित्र विवाद - सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कला को उसकी पूर्णता में देखना चाहिए और केवल धार्मिक दृष्टिकोण से प्रतिबंधित करना कला की स्वतंत्रता का हनन होगा।

सिंघल बनाम भारत संघ (2015) - इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी रक्षा को करते हुए धारा 66A को निरस्त किया। इसका प्रभाव डिजिटल आर्ट और ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर भी पड़ा।

4. कला और सेंसरशिप

भारतीय सिनेमा और चित्रकला पर सेंसरशिप के अनेक उदाहरण हैं। फिल्मों में दृश्य या संवाद, चित्रों में धार्मिक प्रतीक, या नाट्यकला में प्रस्तुत विचार विवाद का कारण बने हैं। सेंसरशिप का प्रश्न यह है कि सीमा कहाँ तक होनी चाहिए ताकि कलाकार की स्वतंत्रता भी बनी रहे और समाज की संवेदनशीलता भी सुरक्षित रहे।

5. सामाजिक और विधिक चुनौतियाँ

धार्मिक भावनाओं की आहत होने की आशंका

सामाजिक नैतिकता और अश्लीलता के आरोप

राष्ट्र की एकता और सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ

कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा का हनन

6. आधुनिक संदर्भ टल आर्ट और सोशल मीडियाडिजि :

डिजिटल माध्यमों ने ललितकला की अभिव्यक्ति को नया आयाम दिया है। लेकिन साइबर कानून, कॉपीराइट उल्लंघन और ऑनलाइन सेंसरशिप इसके नए विधिक प्रश्न खड़े कर रहे हैं।

निष्कर्ष

ललितकला और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता लोकतंत्र के स्तंभ हैं। संविधान कलाकार को स्वतंत्रता देता है, परंतु समाज में संतुलन बनाए रखने हेतु कुछ प्रतिबंध भी अनिवार्य है। जरूरत इस बात की है कि प्रतिबंधों का प्रयोग न्यूनतम और उचित हो, ताकि कला के सृजन पर अनावश्यक नियंत्रण न लगे। भविष्य में न्यायपालिका, विधायिका और समाज को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें कलाकार निर्भीक होकर सृजन कर सके और साथ ही सामाजिक सौहार्द भी सुरक्षित रहे।

सुझाव

1. सेंसरशिप की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तर्कसंगत बनाया जाए।
2. कलाकारों और समाज के बीच संवाद को बढ़ावा दिया जाए।
3. डिजिटल आर्ट और नई कला विधाओं के लिए अलग कानूनी ढाँचा तैयार किया जाए।

4. न्यायपालिका को कला संबंधी विवादों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा प्राथमिकता से करनी चाहिए।

संदर्भ

1. भारतीय संविधान, 1950
2. एमहु सैन चित्रकला विवाद संबंधी निर्णय। .एफ.
3. बसु, डीणी।भारतीय संविधान पर टिप्प .डी.
4. Various articles from Economic and Political Weekly, Indian Journal of Law and Society.